

8/8/25 प्यावली पेशी में ली गई  
अवलोकन किया गया। जरिये  
प्रार्थना पत्र शर्मा ने रास्ता निरस्त  
करवाये जाने का याचिका किया  
है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार  
में नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र  
अस्वीकार कर खारिज किया जाता  
है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा  
जाकर रजिस्ट्रार इजलास रजिस्ट्रार  
प्यावली नंबर से कम की जाकर  
कारिबल दफ्तर की जाती है। आदेश  
रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार

सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
धनुमानगढ़